

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज

/दिनांक ३०.५.२०२१

पत्रांक- का०अ०-अरेराज-८१/ ९५९

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल अरेराज,

सेवा में

संवेदक
दृष्टिकर दृष्टि
सिंचान बोर्ड, रोशनामपुर

विषय :- MMGSY(National) योजनान्तर्गत रासस्तिरिया और से परहड़वा क्लवार
टोला पथ का अनुरक्षण कार्य के संबंध में।
प्रसंग:- SBD(PMGSY/MMGSY) कडिका-52/3 तथा MBD के कडिका-58 तथा 59

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासादिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज अन्तर्गत आपको आवंटित पथ/पूल रासस्तिरिया और से परहड़वा क्लवार का निरीक्षण कर स्थल के मांग के अनुरूप अनुरक्षण टोला का अन्दर हर हाल में शुरू करना सुनिश्चित करेगे इस संदर्भ में पूर्व में भी मौखिक एवं दुर्भाष पर अनुरक्षण कार्य ससमय करने हेतु निदेश दिया जाता रहा परन्तु आपके द्वारा वार्षिक अनुरक्षण कार्य में गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपके स्वेच्छाचारिता के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त राशि उपलब्ध कराने के बाबजुद भी आम अवाम को कष्ट उठाना पर रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य शुरू कराते हुए आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगे की अनेकों बार मौखिक एवं दुर्भाष पर निदेश के बाबजुद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों न किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में आपके एकरानामा का विखंडित करते हुए आपके निवंधन को डिवार/काली सुची में डालने की कार्रवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशी जब्त कर अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा।

इसे अति गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।

(A) दिनांक ३०.५.२०२१ हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।

(B)